संख्या:67/2022/208/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलिया।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 09 मार्च, 2022

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य के नाम में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-बलिया में शासनादेश सं0-199/2021/1741/35-4-2021 दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बन्धित कार्य यथा-**टैंगरही से जयप्रकाश नगर बी0एस0टी0 बन्धा सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य** की लागत रू. 4651.53 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। लोक निर्माण विभाग के पत्र सं0-मु.म.-215-215/23-14-2021-5(जनरल)/2020 दिनांक 14 जनवरी, 2022 द्वारा सन्दर्भित किए गए प्रकरण के क्रम में उक्त स्वीकृत कार्य के नाम को **टैंगरही से जयप्रकाश नगर (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** पढ़ा जायेगा। इस सीमा तक उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को संशोधित समझा जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-3532/दस-2021 दिनांक: 09 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:67/2022/208(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ़।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलिया।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलिया।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in